

प्रेस-विज्ञप्ति

थाना- मेहनगर

पूर्व के मुकदमे में सुलह हेतु योजनाबद्ध तरीके से अपने ही चाचा को गोली मारकर फसाना पडा महंगा ,अभियुक्तगण हुए गिरफ्तार ।

दिनांक 25.12.2019 को अवधेश यादव की हत्या इनके पडोस के सतीश यादव पुत्र स्व0 मारकण्डेय यादव व विलाश यादव पुत्र शंकर यादव व अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव सा0 मालपार इटौवा द्वारा की गयी थी जिस सम्बन्ध में थाने के अभिलेखों से जानकारी पर पता चला कि मुकदमा अपराध संख्या - 237/19 धारा 302/34 भा0द0वि0 में सतीश यादव दिनांक 09.1.20 को आलाकत्ल .32 बोर पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ है। जिस पर मु0अ0सं0 4/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट व अभियुक्त बेलास यादव जो आत्मसमर्पण किया जिसके निशानदेही पर दिनांक 05.03.20 को आलाकत्ल एक अदद तमन्चा .315 बोर बरामद हुआ। जिस सम्बन्ध में थाना मेहनगर में मु0अ0सं0 30/20 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त आरोप पत्र प्रेषित किया गया। चूकि सतीश यादव व विलास यादव ,अवधेश यादव की हत्या में जेल में है तथा इस मुकदमे का प्रमुख गवाह रामदुलार यादव पुत्र झुलई यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ की गवाही प्रचलित है। इसी बात को लेकर मजरुब कैलाश यादव पुत्र शंकर यादव तथा अवधेश यादव की हत्या में जेल से छूटे अभियुक्त अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव तथा जेल में बन्द अभि0 बिलाश यादव के दोनो लडके 1.मंगेश यादव 2. गोलू याद व तथा 3.पूजा यादव पुत्री स्व0 मारकण्डेय यादव 4.मालती देवी पत्नी कैलाश यादव 5.अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव 6. कैलाश यादव पुत्र स्व0 मारकण्डेय सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ़ के द्वारा मित्थ्या षड्यन्त्र रचकर अपने विरोधी 1.बन्टी यादव पुत्र विजय यादव 2. रामदुलार यादव पुत्र झुलई यादव 3. चन्दन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 4. शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव व रंजना यादव पुत्री अवधेश यादव के विरुद्ध फर्जी एफ.आई.आर लिखवाया गया है दौरान विवेचना साक्ष्य संकलन में मुखबिर व अन्य गवाहों से जानकारी पर बन्टी यादव द्वारा मोबाईल प्रयोग किया गया उसका नम्बर 7098946105 तथा चन्दन यादव द्वारा प्रयोग में लाया गया मोबाईल 9834442896 का जरिए सर्विलान्स प्रभारी चन्द्रमा मिश्रा द्वारा SHO के माध्यम से रिपोर्ट देकर तथा कथित दोनो सूत्रों का सेल आईडी से बन्टी यादव का लोकेशन घटना के समय रानीगंज , आशनसोल के पास जिला – वर्धमान पश्चिम बंगाल इनके प्रयोग में लाये गये। मोबाईल का विडियो कालिंग से भी इन का फोटो सहित विडियो कालिंग से लोकेशन रानीगंज में पाया गया है , जिसमें वह अपने को ब्लॉक डेवलेपमेंट आफिस के पास दिखता हुआ दिखाई दिया जिसका साक्ष्य ग्राहण कर पेन ड्राईव में रिकार्ड किया गया तथा चन्दन यादव द्वारा प्रयोग में लाये गये मोबाईल का लोकेशन घटना के समय नालासोपाडा में पाया गया है तथा SHO मेहनगर के अपने प्राईवेट मोबाईल नं0 7007683800 से चन्दन के मोबाईल नं0 के विडियो कालिंग से उसका लोकेशन बसईबाली बिडुल मन्दिर महाराष्ट्र के पास है व बगल में मेडिकल की दुकान महाराष्ट्र के मिस्ट के पास खडा हुआ फोटो ग्राफ्स एवं वार्तालाप का रिकार्ड पेन ड्राईव में लिया गया तथा घटनास्थल से तथा कथित दोनो सूत्रों का सर्विलान्स सेल से सेल आईडी लिया गया तो क्रमशः बन्टी यादव का लोकेशन पश्चिम बंगाल व चन्दन यादव का लोकेशन महाराष्ट्र

बम्बई मे नालासोपाडा पाया गया विवेचनात्मक कार्यवाही से व साक्ष्य संकलन से विवेचना मे नामित अभियुक्तगण 1.बन्टी यादव पुत्र विजय यादव 2. राम दुलार यादव पुत्र झुलई यादव 3. चन्दन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 4. शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव व 5.रंजना यादव पुत्री अवधेश यादव की घटना मे संलिप्तता नही पायी गयी है। अतः उपरोक्त एफ.आई.आर मे नामित अभियुक्तगण 1.बन्टी यादव पुत्र विजय यादव 2. रामदुलार यादव पुत्र झुलई यादव 3. चन्दन यादव पुत्र राजेन्द्र यादव 4. शुभम यादव पुत्र रामदुलार यादव 5 रंजना यादव पुत्री अवधेश यादव निवासीगण मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ का नाम व धारा 147/148/149/307 भा0द0वि0 मुकदमा उपरोक्त की विवेचना से विलुप्त कर साक्ष्य संकलन से अभियुक्तगण 1.अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव 2. मंगेश यादव 3. गोलू यादव पुत्रगण विलाश यादव 4. कैलाश यादव पुत्र सुभाष यादव 5. पूजा यादव पुत्री स्व0 मारकण्डेय यादव 6. मालती पत्नी कैलाश यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के द्वारा घटना को स्वयं कारित करना पाया गया है। विवेचनात्मक कार्यवाही से 1.अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव 2. मंगेश यादव 3. गोलू यादव पुत्रगण विलाश यादव 4. कैलाश यादव पुत्र सुभाष यादव 5. पूजा यादव पुत्री स्व0 मारकण्डेय यादव 6. मालती पत्नी कैलाश यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ का नाम प्रकाश मे आया है। अतः मुकदमा उपरोक्त की अग्रिम विवेचना उपरोक्त प्रकाश मे आये अभियुक्तगण 1.अनिल यादव पुत्र सुभाष यादव 2. मंगेश यादव 3. गोलू यादव पुत्रगण विलाश यादव 4. कैलाश यादव पुत्र सुभाष यादव 5. पूजा यादव पुत्री स्व0 मारकण्डेय यादव 6. मालती पत्नी कैलाश यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 182/211/307/120बी भादवि मे उ0नि0 श्री शिवप्रसाद मिश्रा के द्वारा सम्पादित की जा रही थी।

**गिरफ्तारी की विवरण -** आज दिनांक 13.02.2021 को उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्रा मय हमराहियान के देखभाल क्षेत्र लंबित विवेचना जाच प्रार्थना पत्र चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति वाहन के क्षेत्र मे मामूर थे कि जरिए मुखबीर खास सूचना मिली की जिगनी तिराहे पर मुकदमा उपरोक्त से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मंगेश यादव पुत्र रामवेलाश यादव व बाल अपचारी गोलू उर्फ दिनेश यादव पुत्रगण रामबिलाश यादव सा0 ग्राम मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ कही भागने के फिराक मे है कि त्वरित कार्यवाही करते हुए मय हमराहियान मय मुखबीर के जिगनी तिराहे पर पहुचे कि पुलिस की गाडी को देखकर अभियुक्तगण हटना बढना चाहा कि हिकमत अमली करते हुए हमराहियान द्वारा समय 11.30 बजे अभियुक्त मंगेश यादव व बाल अपचारी गोलू उर्फ दिनेश यादव पुत्रगण रामबिलाश यादव उपरोक्त को हिरासत पुलिस मे लिया गया।

### पंजीकृत अभियोग

20/21 धारा 182/211/307/120 बी भादवि थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।

### गिरफ्तार अभियुक्त

1. अभि0 मंगेश यादव पुत्र रामबिलाश यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ
2. बाल अपचारी गोलू उर्फ दिनेश यादव पुत्र रामबिलाश यादव सा0 मालपार इटौवा थाना मेहनगर जनपद आजमगढ

### गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

उ0नि0 शिवप्रसाद मिश्रा मय हमराह थाना मेहनगर जनपद आजमगढ।

## थाना-रौनापार

### गोवध निवारण अधिनियम से सम्बन्धित अभियुक्त गिरफ्तार

थानाध्यक्ष रौनापार श्री नवल किशोर सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़ की लिखित फर्द के आधार पर मु0अ0सं0 28/2021 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम बनाम (1) शाकिब पुत्र नेसार अहमद सा0 करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ आदि 08 नफर व 04-05 व्यक्ति अज्ञात के विरुद्ध थाना स्थानीय पर पंजीकृत किया है।

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** के अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत अपर पुलिस अधीक्षक महोदय (ग्रामीण) व क्षेत्राधिकारी सगड़ी जनपद आजमगढ़ के कुशल निर्देशन में आज दिनांक 13.02.2021 को उ0नि0 रामजीत मय हमराह थाना रौनापार द्वारा त्रुटि रहित चेकिंग की जा रही थी दौरान चेकिंग जरिये मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 28/2021 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम मे वांछित अभि0शाकिब पुत्र नेसार अहमद सा0 करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को करखिया मोड़ समय करीब 12.40 बजे गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### **पंजीकृत अभियोग**

मु0अ0सं0 28/2021 धारा 307 भादवि व 3/5क/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम थाना रौनापार जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार अभियुक्तगण का नाम व पता**

शाकिब पुत्र नेसार अहमद निवासी करमैनी थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़

### **गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम**

1. उ0नि0रामजीत थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
2. हे0का0 यासीन खाँ थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
3. का0 सत्येन्द्र प्रजापति थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।
4. राहुल सिंह थाना रौनापार जनपद आजमगढ़।

## थाना-मेहनाजपुर

### अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला अभियुक्त गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित, ईनामिया अभियुक्तों की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर श्री सुनील चन्द तिवारी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.02.2021 को उ0नि0 श्री अतीक अहमद मय हमराह का0 अर्जुन गुप्ता द्वारा तलाश वांछित अभियुक्त करते हुए कस्बा मेहनाजपुर में मौजूद थे कि जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि सम्बन्धित मु0अ0सं0- 84/19 धारा 363,366 ,376 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त विशाल पुत्र बाढू राम ग्राम विनैकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़ अपने घर पर मौजूद है। इस सूचना पर उ0नि0 मय हमराह के कस्बा मेहनाजपुर से प्रस्थान कर ग्राम विनैकी अभियुक्त विशाल के घर पर पहुंच कर दबिश दी गई तो अभियुक्त विशाल अपने घर पर मौजूद मिला जिसको समय 09.50 बजे पुलिस हिरासत में लेकर नाम पता पूछा गया तो अपना नाम विशाल पुत्र

बाढू राम ग्राम विनैकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ बताया । बाद गिरफ्तारी अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

### अपराध का तरीका

अभियुक्त द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा पीडिता के साथ यौन सम्बन्ध स्थापित करना ।

### पंजीकृत अभियोग

मु.अ.सं. 84/19 धारा 363,366 ,376 IPC व 3/4 पाक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

### गिरफ्तार अभियुक्त

विशाल पुत्र बाढू राम ग्राम विनैकी थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ0नि0 श्री अतीक अहमद थाना-मेहनाजपुर जनपद आजमगढ ।
2. का.अर्जुन गुप्ता थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

### थाना मेहनाजपुर

### पोक्सो एक्ट का वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

**पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ सधीर कुमार सिंह** द्वारा अपराध नियंत्रण एवं वांछित,ईनामिया अभियुक्तो की गिरफ्तारी विषयक अभियान के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक नगर श्री पंकज पाण्डेय व क्षेत्राधिकारी लालगंज के कुशल निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक मेहनाजपुर श्री सुनील चन्द तिवारी के पर्यवेक्षण में आज दिनांक 13.02.2021 को उ0नि0 श्री अतीक अहमद थाने से प्रस्थान कर चेकिंग संदिग्ध व्यक्ति /वाहन एवं वांछित अभियुक्तो की गिरफ्तारी हेतु कस्बा मेहनाजपुर में मौजूद थे कि इगल मोबाइल ड्यूटी पर तैनात कर्मचारीगण का0 नितिन मिश्रा ,का0 अतुल कुमार शुक्ला कस्बा मेहनाजपुर में मिले । पुलिस बल द्वारा आपस में अपराध एवं अपराधियो के सम्बन्ध में बात चीत की जा रही थी कि उसी दौरान जरिये मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मु0अ0स0-14/2021 धारा 363,366,506 भादवि व 7/8 पक्सो एक्ट से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त अपने घर पर मौजूद है । इस सूचना पर उ0नि0 अतीक अहमद इगल मोबाइल ड्यूटी में पर तैनात कर्मचारीगण को साथ लेकर अभियुक्त के घर ग्राम महुआपार खजुरिया पर दबिश दी गयी तो अभियुक्त अपने घर पर मौजूद मिला । नाम पता पूछा गया तो अपना नाम जयदीप पुत्र फौजदार ग्राम महुआपार (खजुरिया) थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ बताया जिसको समय 22.00 बजे गिरफ्तार गिरफ्तार कर अभियुक्त का चालान माननीय न्यायालय किया जा रहा है ।

### अपराध का तरीका

अभियुक्त द्वारा नाबालिक लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाना तथा जान मालकी धमकी देना ।

### पंजीकृत अभियोग

मु.अ.स.14/2021 धारा 363,366,506 IPC व 7/8 पक्सो एक्ट थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

### गिरफ्तार अभियुक्त

जयदीप पुत्र फौजदार ग्राम महुआपार (खजुरिया) थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ

### गिरफ्तार करने वाली टीम

1. उ०नि० श्री अतीक अहमद थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
2. का.अतुल शुक्ला थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़
3. का.नितिन मिश्रा थाना मेहनाजपुर जनपद आजमगढ़

### थाना निजामाबाद

#### एक नफर वारण्टी गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस' अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में प्रभारी निरीक्षक श्री शिवशंकर सिंह के कुशल नेतृत्व में उ०नि० रत्नेश कुमार दूबे चौकी प्रभारी फरिहां मय हमाराह द्वारा मा० न्यायालय ए०सी०जे०एम कोर्ट नं० 10 आजमगढ़ से प्राप्त वारण्ट मु०अ०स० 2663/19 धारा 2/3/5 लोक सम्पत्ति क्षति निवारण बनाम मिस्टर पुत्र बदरुद्दीन सा० फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ तारिख पेशी 20.04.21 निर्गत द्वारा न्यायालय ए०सी०जे०एम कोर्ट नं० 10 आजमगढ़ की तामिला हेतु वारंटी मिस्टर पुत्र बदरुद्दीन सा० फरिहां थाना निजामाबाद आजमगढ़ उपरोक्त घर पर मौजूद मिला। अभि० को वारण्ट दिखाकर कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर मा० न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

### थाना जीयनपुर

#### एक नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस' अधीक्षक जनपद आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह द्वारा चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीणव क्षेत्राधिकारी सगडी के कुशल निर्देशन में मा० न्यायालय ए०एस०जे० / एफ० टी० सी० कोर्ट नं० प्रथम आजमगढ़ से प्राप्त वारण्ट मु०नं० 419/10 धारा 272 भादवि० व 60 EX ACT से सम्बन्धित अभि० जयराम यादव पुत्र बृजबासी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ को उ०नि० ज्ञान प्रकाश तिवारी प्रभारी चौकी लाटघाट मय हमराह का० हीरा द्वारा उपरोक्त आदेश के क्रम में ग्राम मोहम्मदपुर कोडरा पहुंचा तो वारंटी जयराम यादव पुत्र बृजबासी यादव निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़ घर पर मौजूद मिला अभि० को वारण्ट दिखाकर कारण गिरफ्तारी बताकर गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार कर मा० न्यायालय प्रेषित किया जा रहा है।

#### वारण्ट आदेश

मु०नं० 419/10 धारा 272 भादवि० व 60 EX ACT बनाम जयराम यादव पुत्र बृजबासी यादव उम्र 50 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार अभियुक्त

जयराम यादव पुत्र बृजबासी यादव उम्र 50 वर्ष निवासी मोहम्मदपुर कोडरा थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़

#### गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम का विवरण

1. उ०नि० ज्ञान प्रकाश तिवारी चौकी प्रभारी लाटघाट थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़
2. का० हीरा लाल थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़

### सड़क सुरक्षा माह अभियान के तहत पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ ने आम जनता को दिलाई शपथ

आज दिनांक- 13.02.2021 को समय लगभग 12.20 बजे पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ श्री सुधीर कुमार सिंह द्वारा रोडवेज बस स्टैण्ड परिसर में दिनांक -21.01.2021 से 20.02.2021 तक चल रहे राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह अभियान को लेकर द्वारा रोडवेज परिसर में किये गये कार्यक्रम को सड़क सुरक्षा से सम्बन्धित नियमों को बताते हुए उनको प्रोत्साहित किया गया। पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी को सड़क सुरक्षा माह के तहत शपथ भी

दिलाई गयी। इस कार्यक्रम में कई स्कूल के बच्चों ने गीत के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया गया। इन कार्यक्रम के माध्यम से जो भी सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, उनमें काफी हद तक कमी आयेगी। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक यातायात श्री सुधीर जायसवाल, टीएसआई आजमगढ़, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली व स्थानीय सभ्रान्त व्यक्ति/आम जनता मौजूद थे।

**नोट-जनपद आजमगढ़ के समस्त थाना द्वारा शान्ति व्यवस्था हेतु कुल 48 व्यक्तियों के विरुद्ध 151 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी है।**